

दिनांक

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर

3/1/19

समाप्तो पत्र हुई, तहसीलदार अंतियों को आर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 138 एलजाए एक्ट 1988 में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जनबंदी संग्रहण कार्य में जनबंदी में दर्ज उत्तरे का नक्शे में वन दु वन में दर्ज किया जा रहा है जिसमें बात अया कि जन केशो रामाव उत्तर नं 21/3 जनबंदी में रखा एक तय जुन्ता दर्ज है जबकि नकशे पर एक से अधिक टुकड़े है जिनको एक किया जाना संभव नहीं है। खातेदारों मूनि एवं नाम में कोई परिवर्तन नहीं है केवल रिकॉर्ड दुरुस्तों के लिए नक्शे में अंकन किया जाना है। उपलब्ध रिकॉर्ड जनबंदी एवं संग्रहण हेतु प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। परिशिष्ट 01 का निर्णय का भाग घोषित किया जाकर संपत्ति रिकॉर्ड में अंकन की स्वीकृति दी जाती है।



अ. स. वि. वि. वि.

ल. व. व. व.

